

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT
12/DEC/1972
19/11

सं० 275] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, नवम्बर 2, 1972/कार्तिक 11, 1894

No. 275] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 2, 1972/KARTIKA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filled
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 2nd November 1972

G.S.R. 457(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (3) of section 15 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. G.S.R. 369E dated the 1st August, 1972, the Central Government hereby determines that for the purposes of Sections 14 and 15 of the said Act, the rates of exchange for conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of the Schedule below into Indian currency or *vice versa* shall be the rate mentioned against it in column (3) thereof.

THE SCHEDULE

S. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of foreign currency equivalent to Rs. 100/-
(1)	(2)	(3)
1.	Austrian Schillings	281
2.	Belgian Francs	537
3.	Canadian Dollars	12.08
4.	Danish Kroners	84.00
5.	Dutch Guilders	39.20
6.	Deutsche Marks	38.90
7.	French Francs	61.20
8.	Italian Lira	7110
9.	Japanese Yen	3640
10.	Norwegian Kroners	80.70
11.	Pound Sterling	5.2850
12.	Swedish Kroners	57.70
13.	Swiss Francs	46.10
14.	U. S. A. Dollars	12.31

[No. 124/F. No. 503/15/72-Cus.VI.]

P. K. KAPOOR, Under Secy

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1972

सा० का० नि० 457(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 15 की उपधारा (3) के खंड (क) का अनुमरण करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 369 ई० तारीख 1 अगस्त, 1972 को अधिष्ठित करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अवधारित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 और 15 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी करेंसी से भारतीय करेंसी में और भारतीय करेंसी से विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की दरें ये होंगी जो उसके सामने उसके स्तम्भ (3) में वर्णित हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	विदेशी करेंसी	100 रु० के समतुल्य की विदेशी करेंसी की विनिमय दर
(1)	(2)	(3)
1	ऑस्ट्रियाई शिलिंग	281
2	बेल्जियम के फ्रैंक	537
3	कनाडा के डालर	12.08
4	डेनमार्क के क्रोनर	84.00
5	डच गिल्डर	39.20
6	जर्मन (डुट्शे) मार्क	38.90
7	फ्रांस के फ्रैंक	61.20
8	इतालवी लीरा	7110
9	जापानी येन	3640
10	नार्वे के क्रोनर	80.70
11	पोण्ड स्टर्लिंग	5.2850
12	स्वीडन के क्रोनर	57.70
13	स्विट्जरलैंड के फ्रैंक	46.10
14	संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर	12.31

[सं० 124/फा० सं० 503/15/72-सी० गु० VI]

पी० के० कपूर, अव्वर सचिव ।

